प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.04.2024

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा नाजायज गाँजे की तस्करी/बिक्री करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 30 किलोग्राम नाजायज गाँजा बरामद ।

दिनांक- 16/04/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उडीसा राज्य से नाजायज गाँजे की तस्करी करके लाने व उसे गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र मे बिक्री करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय तस्करों को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से उडीसा राज्य से कार से तस्करी कर लाया हुआ 30 किलोग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 60 लाख रू0 है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>- पूछताछ पर अभियुक्त धनंजय ने बताया कि वह 8वीं पास है तथा दिल्ली व गाजियाबाद से लूट, स्नैचिंग व वाहन चोरी आदि मे काफी बार जेल जा चुका है वर्ष 2018 मे वह लूट के अभियोग में थाना सिहानीगेट से जेल गया था वहाँ उसकी मुलाकात गंजा निवासी हापुड से हुई जिसने बताया कि उडीसा राज्य से गाँजा तस्करी करके लाने व गाजियाबाद दिल्ली एन0सी0आर0 में बिक्री करने मे काफी अधिक मुनाफा होता है जेल से आकर वह टैक्सी ड्राईविंग का काम करने लगा लेकिन टैक्सी ड्राईविंग के काम में ज्यादा आमदनी नही होती थी तो वह झारखण्ड निवासी अजीत के माध्यम से उडीसा से अवैध गाँजा लाकर गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 मे बिक्री करने लगा जिसमें उसको काफी मुनाफा होने लगा। उसने गाँजा तस्करी मे अपने साथ अभिषेक व विवेक को भी मिला लिया। अभिषेक कुमार सिंह ने पूछताछ पर बताया कि वह 10 वीं पास है तथा एयरटेल कम्पनी के क्यूआर कोड बनाने का काम करता था वर्ष 2023 मे वह फर्जी आधार कार्ड रखकर धोखा धडी करने के अपराध मे थाना वेवसिटी से जेल चला गया था, जेल से आने के बाद कोई काम नही होने के कारण कोई आमदनी नही होती थी जिससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था तभी वह धनंजय उपरोक्त के सम्पर्क आकर धनंजय के साथ उडीसा से अवैध गाँजा तस्करी कर लाकर गाँजे की बिक्री का काम करने लगा। अभियुक्त विवेक उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि वह बी0बी0ए0 द्वितीय वर्ष का छात्र है तथा टैक्सी ड्राईविंग का भी काम करता है टैक्सी ड्राईविंग के काम ज्यादा आमदनी न होने व खर्चे ज्यादा होने व लोगो का काफी उधार होने की वजह से वह धनंजय उपरोक्त के सम्पर्क मे आकर उसके साथ मिलकर उडीसा से अवैध गाँजा तस्करी कर लाकर गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 मे अवैध गाँजे की तस्करी / बिक्री करने लगा।

विस्तृत पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि ये लोग उडीसा राज्य से अवैध गाँजे की तस्करी कर लाने के लिए ZOOM एप से ऑनलाईन कार बुक करके अपनी आई0डी0 जमा करके 2000 रू0 प्रति दिन के किराये पर लेकर उसी कार से उडीसा राज्य से अवैध गाँजा तस्करी करके लाकर गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 में अवैध गाँजे की बिक्री करते है जिससे इनको काफी फायदा होता है उसी से ये लोग अपने घर के खर्चे व शौक पूरे करते हैं।

अभियुक्तगण से पूछताछ पर गाँजे की तस्करी व बिक्री करने वालो के सम्बन्ध मे कई अन्य महत्तवपूर्ण जानकारियाँ मिली है जिसके आधार पर मादक पदार्थो की तस्करी व बिक्री करने वाले अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर उनकी गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</u>-

1.धनंजय उर्फ बारूद उर्फ डी0के0 उर्फ पठान उर्फ धीरज पुत्र स्व0 विजय सिंह उर्फ उर्फ नन्दू प्रसाद सिंह निवासी एफ 2/399 सुन्दर नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली हाल निवासी गली न0-03 (किराये का मकान) श्रीराम एन्कलेव लाल कुँआ थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब- 36 वर्ष

2.अभिषेक कुमार सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी गली न0-03 श्रीराम एन्कलेव लाल कुँआ थाना वेव सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बखरी थाना बैरंगनिया जिला सीतामढी बिहार उम्र करीब 33 वर्ष

3.विवेक कुमार सिह पुत्र श्री श्याम किशोर सिंह निवासी म0न0-04 गली न0-03 श्रीराम एन्कलेव लाल कुँआ थाना वेव सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम मंसहा नरौत्तम पुर्नवास थाना बैरंगनिया जा सीतामढी बिहार उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.गाँजा नाजायज – 30 किलोग्राम (कीमत करीब 60लाख रू0)

2.टोयटा गलेंजा गाडी न0 जेएच 10सीसी 9057 (अवैध गाँजे की तस्करी मे प्रयुक्त)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त धनंजय के विरूद्ध दिल्ली मे 89 व गाजियाबाद मे 03 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध गाजियाबाद मे 02 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त विवेक के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा हुक्का बार में अवैध रुप से सिगरेट व तम्बाकू का धूम्रपान कराने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 हुक्का, 08 हुक्का की प्लेट, 08 हुक्का की पाईप, फ्लैवर्ड तम्बाकू के मिश्रण से भरी एल्मूनियम फोइल से लिपटी हुई 02 चिलम, 08 खाली अखबार में पैक मिट्टी की चिलम व 03 इलेक्ट्रिक स्पार्क गन बरामद ।

दिनांक 16.04.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर हुक्का बार में अवैध रुप से सिगरेट व तम्बाकू का धूम्रपान कराने वाले 06 अभियुक्त 1. क्रिष भाटी पुत्र मनीष भाटी निवासी मकान न0 219 नन्द नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली **मुल निवासी** बादलपुर थाना बादलपुर जिला गोतमबुद्ध नगर उम्र करीब 19 वर्ष । 2. अर्जुन पुत्र राम सजीवन कुशवाह ग्राम मछोंद थाना चंदला जिला छतरपुर मध्यप्रदेश **हाल निवासी** ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष । 3. सुंदर पाल पुत्र छंगापाल निवासी संजयनगर लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0 **हाल निवासी** किरायेदार महेश भाटी का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष । 4. शिवम पुत्र रामवीर निवासी मो-जयजयराम नगर कस्वा व थाना शोरों जिला कासगंज **हाल निवासी** किरायेदार धर्म ढेडा का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष । 5. सुभाष पुत्र नरेश निवासी ग्राम बक्सरा थाना अनूप शहर जिला बुलन्दशहर **हाल निवासी** महेश भाटी का किराये का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष । 6. प्रमोद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सरूरपुर थाना उधैती जिला बदांयू **हाल निवासी** महेश भाटी का किराये का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को एंजेल मेगा मॉल स्थित ब्लू कैफ से 08 हुक्का, 08 हुक्का की प्लेट, 08 हुक्का की पाईप, फ्लैवर्ड तम्बाकू के मिश्रण से भरी एल्मूनियम फोइल से लिपटी हुई 02 चिलम, 08 खाली अखबार में पैक मिट्टी की चिलम व 03 इलेक्ट्रिक स्पार्क गन सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. क्रिष भाटी पुत्र मनीष भाटी निवासी मकान न0 219 नन्द नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली **मुल निवासी** बादलपुर थाना बादलपुर जिला गोतमबुद्ध नगर उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अर्जुन पुत्र राम सजीवन कुशवाह ग्राम मछोंद थाना चंदला जिला छतरपुर मध्यप्रदेश **हाल निवासी** ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
3. सुंदर पाल पुत्र छंगापाल निवासी संजयनगर लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0 **हाल निवासी** किरायेदार महेश भाटी का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
4. शिवम पुत्र रामवीर निवासी मो-जयजयराम नगर कस्वा व थाना शोरों जिला कासगंज **हाल निवासी** किरायेदार धर्म ढेडा का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
5. सुभाष पुत्र नरेश निवासी ग्राम बक्सरा थाना अनूप शहर जिला बुलन्दशहर **हाल निवासी** महेश भाटी का किराये का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
6. प्रमोद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सरूरपुर थाना उधैती जिला बदांयू **हाल निवासी** महेश भाटी का किराये का मकान भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 08 हुक्का, 08 हुक्का की प्लेट, 08 हुक्का की पाईप, फ्लैवर्ड तम्बाकू के मिश्रण से भरी एल्मूनियम फोइल से लिपटी हुई 02 चिलम, 08 खाली अखबार में पैक मिट्टी की चिलम व 03 इलेक्ट्रिक स्पार्क गन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम व SST टीम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव - 2024 के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान 3,62,200/- रू0 कैश बरामद।

दिनांक 16.04.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम व SST टीम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव - 2024 के दृष्टिगत महाराजपुर दिल्ली बोर्डर के सामने बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन / व्यक्ति चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बलेनो कार को रोककर चैक किया गया तो उसमें सवार 01 व्यक्ति मंयक जैन पुत्र राकेश जैन निवासी ए -85 राधेकृष्ण लेन कौशाम्बी गाजियाबाद की नियमानुसार चेकिंग की गयी तो कब्जे से 3,62,200/- रु0 बरामद हुए। उपरोक्त व्यक्ति से बरामद रुपयों के सम्बन्ध में पूछने पर कोई संतोष जनक जबाब नहीं दिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कब्जे से रुपये बरामद होने वाले व्यक्ति का नाम व पता

मंयक जैन पुत्र राकेश जैन निवासी ए -85 राधेकृष्ण लेन कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- 3,62,200/- रु0 कैश बरामद।

<u>बरामद करने वाली पलिस टीम</u>

थाना लिंकरोड पुलिस टीम व SST टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 4200/- रूपये बरामद।

दिनांक 11.4.2024 को थाना लोनी पर अज्ञात चोर द्वारा गाडी का शीशा तोडकर पैसे चोरी करने के सम्बध में लिखित तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल अज्ञात चोर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अज्ञात अभि0 की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। जिसमे थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाला एक शातिर अभि0 आरिफ उर्फ बोना पुत्र हसरत नि0 मुस्तकीम के मकान में किरायेदार आशियाना सिटी अशोक विहार कस्बा व थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष तथा मूल पता ग्राम लौहड्डा थाना जानी जिला मेरठ को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से आज दिनांक 16.4.2024 को मय चोरी किये 4200 रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>

आरिफ उर्फ बोना पुत्र हसरत नि0 मुस्तकीम के मकान में किरायेदार आशियाना सिटी अशोक विहार कस्बा व थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 24 बर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

चोरी की घटना से सम्बधित बरामद कुल 4200 रूपये

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

थाना लोनी से अभि0 के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगो की सं0 – 01,

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम।